

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-09/2025

तारीख दायर:-14.01.2025

तारीख निर्णय:-01.05.2025

1. श्री रामा पुत्र हकरा भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।
2. श्री हरजी पुत्र हकरा भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।
3. अटली पुत्री हकरा भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।
4. देवली पुत्री हकरा भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रमेश पुत्र मोहन लकुम्बरा भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।
2. श्री रूपा पुत्र कमजी तावड भील निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।
3. श्री मांगीलाल पुत्र नाना खराडी निवासी टिण्डोर तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री रमेश तावड

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा



निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा टिण्डोर पटवार क्षेत्र माकडादेव तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 130 में वर्णित आराजियात किता 12 रकबा 1.9600 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा टिण्डोर पटवार क्षेत्र माकडादेव तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 130 में वर्णित आराजियात किता 12 रकबा 1.9600 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार


उपखण्ड अधिकारी

निश्चय है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेवासी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आगे दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेवासी भूमि की पत्थरमर्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेवासी भूमि की पत्थरमर्दी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीमण बावजूद मृत्यु एवं सम्पन्न तागील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीमण को भी पत्थरमर्दी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीमण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं गौज टिण्डोर पटवार क्षेत्र गाकडावेत तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 130 में वर्णित आसाजिधात किता 12 रकबा 1.9600 है० भूमि की मौक पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरमर्दी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहसीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल-उदयपुर
जिला, जिला-उदयपुर